न्यायालय सहायक कलक्टर, सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 42 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 98

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
शारदा देवी पुत्री घमण्डाराम, पत्नी बबुलाल, कौम–सुनार, निवासी–सांचौर हाल निवासी–परावा, तहसील–चितलवाना जिला–जालोर, राजस्थान	घेवरचन्द पुत्र घमण्डाराम वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 28.06.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01, 08, 09 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहित शाह जूनेजा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 37, 44 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 38, 40 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
5. अप्रार्थीगण संख्या 37, 44 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
6. अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 07, 10 लगायत 36, 39, 41 लगायत 43 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 20.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके मौजा सांचौर के खेत खसरा नंबर 1506 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 548 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 549 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 550 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नंबर 588 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 590 रकबा 1.12 हैक्टेयर, [illegible] नंबर 591 रकबा 1.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 591 / 3219 रकबा 0.01 [illegible] 1.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 594 / 3075 रकबा 0.27 हैक्टेयर [illegible] प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी पुश्तैनी जमीन आई हुई है। उक्त आराजी प्रार्थी[illegible] एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पारिवारिक पैतृक आराजी आई हुई है। जिसकी प्रथम मिसल बंदोबस्त अणदा, जवारा, तुलसा, मिश्रा, घमण्डा, मोहन पिसरान किस्तुरा के नाम से आई हुई है। उपरोक्त आराजी में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के स्व. पिता घमण्डा का 1 / 6 हिस्सा खातेदारी का आया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

वादीया स्व. घमण्डा की जाईन्दा पुत्री एवं जायज वारिसान होने से हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार मौजा सांचौर में स्थित वादीया एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से स्व. घमण्डा के 1/6 हिस्से की खातेदारी आराजी में वादीया का नौशनल शेयर पैदा होने से स्व. घमण्डा के 1/6 हिस्से में से वादीया का 1/24 हिस्सा आया होने से मौके पर वादीया का संपूर्ण आराजी में से का 1/24 हिस्से पर कब्जाकाश्त आया होने से 1/24 हिस्से की खातेदारी पाने की अधिकारी है। उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी कस्बा सांचौर की आबादी से लगती आई होने से जमीन का बाजार भाव अत्यधिक बढ़ जाने से अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 3 की नियत में खोट पैदा हो जाने से उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से स्व. घमण्डा की खातेदारी 1/6 हिस्से की आराजी हड़पने की नियत से हल्का पटवारी सांचौर से मिलावट कर प्रार्थीया के पिता स्व. घमण्डा व माता राधा देवी के स्वर्गवास हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 294 व नामान्तरकरण संख्या 2206 फौतेदगी अवैध विधि विरूद्व से स्वीकृत कर उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से घमण्डा के 1/6 हिस्से की खातेदारी आराजी प्रार्थीया के हिस्से में कम भूमि दर्ज कर एवं अप्रार्थीगण के हिस्से में अधिक आराजी अवैध व विधि विरूद्व रूप से दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अवैध विधि विरूद्व रूप से गलत दुरूस्ती कर, वादीया को प्रार्थीया के हिस्से एवं बंट की आराजी से अवैध व विधि विरूद्व रूप से वंचित कर दिया गया। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया के उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश क़र प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि छोड़ कर चले जाने की एलानियां धमकी देकर प्रार्थीया की भूमि हड़पना चाहता है जबकि उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी पर प्रार्थीया का शांतिपूर्वक विधि सम्मत कब्जाकाश्त आया हुआ है। उक्त आराजी प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजी होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीया के पक्ष में मेड आउट होता है। उक्त आराजी पर प्रार्थीया का शांतिपूर्वक बैरोकटोक लगातार कब्जाकाश्त आया होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि प्रार्थीया को उपरोक्त आराजी में से प्रार्थीया के कब्जेकाश्त से जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी, जो रूपयों पैसों में आंकी नही जा सकती है। प्रार्थीया ने अलग से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश कर रखा है। अतः निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद के बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण सादिर फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 4 ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर [illegible] 549, 550 पर प्रार्थीया का कोई हक हकूक कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीया केवल 1/72 हिस्से की संयुक्त खातेदार है तथा अप्रार्थी भी 11/72 हिस्से का संयुक्त खातेदार होने से एक संयुक्त खातेदार को अपने हिस्से की भूमि बैचान हस्तांतरण करने का पूर्ण अधिकार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी साचौर)

का संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दू मुझ अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 8, 9, 37, 38, 40, 44 ने अपनी बहस में उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, बलहीन होने से सादर खारिज फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 07, 10 लगायत 36, 39, 41 लगायत 43 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त प्रकरण को तीनों कानूनी बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति को विवेचित करते हुए निर्णय करना उचित समझते है जो तीनों सारभुत कानूनी बिन्दूओं का निर्णय निम्नानुसार है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार जायन्दा कानूनीयां वारिस होने का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रेकॉर्डेड खातेदार है तथा मौके पर कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का होना प्रतीत होता है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी से संबंधित हक हकूकों को निर्धारण मूल वाद में तनकीयात निर्धारण के पश्चात साक्ष्य सबुतों के आधार पर होगा। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेकानेक न्याय निर्णयन में यह निर्धारित किया है कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने से तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित (सिद्ध) होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> :– प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी पर स्वंय का कब्जा होना कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार एवं उनका निरन्तर कब्जा काश्त है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति सिद्ध होता है।

<u>अपूरणीय क्षति</u> :– पूर्व विवेचित अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुके है। वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकॉर्डेड खातेदार का कृषि आदान अनुदान, बैक से लोन प्राप्ति, रहनमुक्ति एवं कृषि भूमि के विकास आदि से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार खातेदारान् को अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:50:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

कारित हो सकती है, अतः यह बिन्दू बहक अप्रार्थीगण साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित एवं विधिसंगत नहीं समझते है।

:– आदेश :–

अतः विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनों कानूनी बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर सांचौर

निर्णय आज दिनांक **20.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सांचौर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:30:41 IST
Reason: SelfAttested